लोक सुनवाई का वृत।

श्री राजीव रंजन सिंह, पिता–स्व0 राम वचन सिंह, पता–वीर कुंवर सिंह नगर, कतीरा, नवादा, जिला–भोजपुर द्वारा भोजपुर सोन–02 बालू घाट मौजा–सदाशिवपुर, ब्लॉक–कोईलवर, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 27.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भोजपुर जिला के कोईलवर प्रखण्ड सभागार, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2066/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री सत्य प्रकाश, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 27.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कोईलवर प्रखण्ड सभागार, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 21.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन

पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (300 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री शुभम कुमार, पिता–श्री प्रमोद कुमार, ग्राम–हरीपुर, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि खनन के दौरान परिवहन से बहुत धूल उड़ता है। इसका क्या उपाय करेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। यातायात के नियमों को सुनिश्चित किया जायेगा। दिन में दो बार जल–छिड़काव किया जायेगा।
2.	श्री मनीष कुमार, पिता–श्री सत्येन्द्र सिंह, ग्राम–चन्दपुरा, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि खनन जब शुरू किया जायेगा तो स्थानीय ग्रामीण को क्या लाभ मिलेगा । इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। आस–पास के गाँव में वृक्षारोपण किया जायेगा। कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी की राशि से गाँव का विकास किया जायेगा।
3.	श्री अर्जुन कुमार सिंह, पिता– श्री राम सिंहासन सिंह, ग्राम– चंदपुरा, जिला– भोजपुर ।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से काफी धूल उड़ता है। इसका क्या उपाय करेंगे। बताया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय–समय पर किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा।

4.	श्री धर्मवीर शर्मा, पिता– श्री बालखेड़े शर्मा, ग्राम–पुराना हरिपुर, जिला– भोजपुर ।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सुझाए गए उपाय को जाँच कौन करेगा। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जाँच संबंधित विभाग के पदाधिकारी करेंगे। हरेक 06 महीनें पर संवेदक द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन जमा किया जाता है। ग्रामीण भी सजग रहें। अनुपालन नहीं किये जाने के स्थिति में जिला पदाधिकारी या जिला खनन कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं।
5.	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, पिता–श्री राम विलास सिंह, ग्राम–चंदपुरा, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन के दौरान ट्रेक्टर के चलने से एवं अश्लील गाना बजाने से काफी परेशानी होती है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा संवेदक को निदेश दिया गया कि अश्लील गाना न बजाना सुनिश्चित करायेंगे। वाहन से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम हेतु हॉर्न का कम उपयोग किया जाय एवं PUC निबंधित गाड़ी को ही बालू दिया जाय।
6.	श्री संजय कुमार सिंह, पिता– श्री गया प्रसाद सिंह, ग्राम–पुराना हरिपुर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि खनन जब शुरू किया जायेगा तो स्थानीय ग्रामीण को क्या लाभ मिलेगा । इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। आस–पास के गाँव में वृक्षारोपण किया जायेगा। कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी की राशि से गाँव का विकास किया जायेगा।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

उन्होंने कम–से–कम 600 पेड़ लगाने का सुझाव दिये। पौधो का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन से फायदा–नुकसान दोनों होता है। नुकसान का भरपाई करना है। लाभ तभी मिलेगा जब सकारात्मक सोच रखेंगे। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें। आपका सहयोग भी अपेक्षित है। संवेदक सभी व्यवस्था बनायेंगे। पर्यावरण संतुलन खराब न हो। गाँव वाले को भी जागरूक होना पड़ेगा। सक्रीय भागीदारी दें। इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पेड़ छायादार एवं फलदार (पीपल, वरगद, नीम, जामुन, आम इत्यादि) का लगाया जाय।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

31.5.23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,पटना

31/5/23

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
भोजपुर

उपस्थिति सूची

श्री राजीव रंजन सिंह, द्वारा सोन 02 बालू घाट, गाँव- हरिपुर और सदाशिवपुर, मौजा- सदाशिवपुर, अंचल-कोईलवर, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री नवल प्रकाश	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी भोजपुर, आरा	[signature] 27/5/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना	[signature] 27-5-23
3.	आनन्द प्रकाश	खनिज विकास पदाधिकारी भोजपुर, आरा	[signature] 27/05/023
4.	कृष्णा शर्मा	रियान एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, पटना	[signature]
5.	Rahul Ranjan Singh	Veer Kunwar Singh Nagar Katira Arra	[signature]
6.	नवीन सिंह	चनपुरा नया हरिपुर	नवीन सिंह
7.	Manish kumar	Champura पुराना हरिपुर	Manish kumar
8.	Dhanveer Sharma	Purana Haripur	[signature]
9.	Sanjay Kumar Singh	Purana Haripur	[signature]
10.	संतोष कुमार	पुरान हरिपुर	CS
11.	रणवीर कुमार	पुराना हरीपुर	रणवीर कुमार
12.	जयकुमार सिंह	ग्रा० चंदपुरा	[signature]

13.	इन्द्रजीत	कुमार घर पुरन	हरिपुर
14.	दयानन्द सिंह	घर पुराना हरिपुर	दयानन्द सिंह
15.	अशोक कुमार सिंह	घर पुराना हरिपुर	अशोक कुमार सिंह
16.	मनोज कुमार सिंह	ग्राम हरिपुर	मनोज कुमार सिंह
17.	[illegible] कुमार	ग्राम - हरिपुर	[illegible]
18.	Shubham Kumar	ग्राम - हरिपुर	[illegible]
19.	[illegible]	ग्रा० [illegible]	[illegible]
20.	[illegible] कुमार सिंह	ग्रा० पुराना हरिपुर	[illegible]
21.	अजय कुमार सिंह	चन्द पुरा	[illegible]
22.	विरेन्द्र कुमार सिंह	चन्द पुरा	[illegible]
23.	Yashant Singh	Hari pur	[illegible]
24.	[illegible] सिंह	चन्द्रपुरा	[illegible]
25.	जितेन्द्र महतो	हरिपुर	Jitendra
26.	महेन्द्र कुमार	हरिपुर	[illegible]
27.	प्रकाश सिंह	हरिपुर	प्रकाश सिंह